

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/SBPDCL-79/2024-  
सेवा में,

/पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय :- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० क्षेत्राधीन 78 अद्द 33 के०वी० लाईन के रिकंडक्टिंग हेतु 105.87 करोड़ (एक सौ पाँच करोड़ सतासी लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30.00 करोड़ (तीस करोड़) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-5068 दिनांक-25.12.2024 द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० क्षेत्राधीन 78 अद्द 33 के०वी० लाईन के रिकंडक्टिंग हेतु 105.87 करोड़ (एक सौ पाँच करोड़ सतासी लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में तत्काल 35.00 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक कुल 55.00 करोड़ रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवशेष राशि 50.87 करोड़ रुपये की मांग साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा की गयी है, जिसमें से CFMS में उपलब्ध आवंटन के आधार पर तत्काल 30.00 करोड़ रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० क्षेत्राधीन 78 अद्द 33 के०वी० लाईन के रिकंडक्टिंग हेतु 105.87 करोड़ (एक सौ पाँच करोड़ सतासी लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30.00 करोड़ (तीस करोड़) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बजट मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900106 विषय शीर्ष-54.01-निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता संख्या-PTSPLA017) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0047-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200047 में जमा की जाएगी।

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या-PTSPLA017 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/SBPDCL-79/2024 के पृष्ठ संख्या-10/टि० पर दिनांक-19.12.2024 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/SBPDCL-79/2024 के पृष्ठ संख्या-30/टि० पर दिनांक-21.05.2026 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/SBPDCL-79/2024-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/SBPDCL-79/2024-

2800

/पटना, दिनांक- 27/05/2024

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग(तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-05-26

सरकार के संयुक्त सचिव।